न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवंपदेनराजस्वअपीलअधिकारीउदयपुर

पीठासीनअधिकारी :–अनीतामीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4 / 2020(राजसमन्दआर्डर)

श्रीमती शान्तिदेवीपत्नीमोतीलालजीकुमावत, निवासीवीरभानजीका खेड़ा, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. बंशीलालपितामोहनलालजीकुमावत, निवासीवीरभानजीका खेड़ा, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)
2. भंवरलालपितामोहनलालजीकुमावत, निवासीवीरभानजीका खेड़ा, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)
3. नरेशचन्द्रपितागणेशलालजीकुमावत, निवासीवीरभानजीका खेड़ा, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)
4. अम्बालालपितामोहनलालजीकुमावत, निवासीवीरभानजीका खेड़ा, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)
5. नारायणलालपितागणेशलालजीकुमावत, निवासीवीरभानजीका खेड़ा, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)
6. सुश्रीसंगीतापुत्री गणेशलालजीकुमावत, निवासीवीरभानजीका खेड़ा, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)
7. श्रीमतीगणेशीबाईपत्नीगणेशलालजीकुमावत, निवासीवीरभानजीका खेड़ा, तहसील व जिलाराजसमन्द(राज.)
8. राजस्थानराज्य जरियेतहसीलदार, राजसमन्द(राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलअन्तर्गत धारा225राजस्थान
काश्तकारीअधिनियम–1955विरूद्ध
निर्णयउपखण्डअधिकारीराजसमन्द
दिनांक28.01.2020प्र॰सं॰47 / 2019

Signature Not Verified

———/———

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:53:00 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्रीसुशीलकोठारीअभिभाषकअपीलान्ट
2. राजकीय पैरोकाररेस्पोन्डेन्ट संख्या 8

———::———

निर्णयदिनांक05—07—2022

प्रकरण के संक्षेपमेंतथ्यइसप्रकारहैकिअधिनस्थन्यायालय मेंहालरेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 एक प्रार्थनापत्रअन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम एवंआदे ा 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. काप्रस्तुतकरनिवेदनकियाकिराजस्वग्रामआसोटियामेंआराजीनंबर1200रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा एवंआराजीनंबर 1201 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वाकुलकिता 2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वाभूमिस्थितहोकरप्रार्थीगण एवंविपक्षी संख्या 1 तथा 3 से 5 के संयुक्त खातेदारी एवंआधिपत्य की है।विपक्षी संख्या 1 ने बिनाविभाजन के दिनांक 18—04—2019 उक्तभूमि के विशिष्ठपड़ोसोंकाविक्रय विपक्षी संख्या 2 कोकरदियाहै, जोकानूननअवैध है।उक्तअवैध विक्रय पत्र के आधारपरविपक्षी संख्या 2 के पक्ष मेंकिसीप्रकार के हकअधिकारोंकासृजननहींहोताहै, किन्तुविपक्षी संख्या 2 विशिष्ठपड़ोसों की भूमिपरजबरनकब्जाकरनेपरआमादाहैं, जिससेउन्हेंरोकाजानाआवश्यक है।अतः विपक्षी संख्या 2कोइसआ ाय की जरियेअस्थाईनिषेधाज्ञापाबन्दकियाजावेकिवेप्रार्थनापत्र मेंअंकितउक्तभूमिमेंप्रार्थीगण के उपयोगउपभोगमेंकिसीप्रकार की बाधा एवं दखलन्दाजीकारितनहींकरेंतथाविशिष्ठपड़ोस के मध्य की भूमिपरकब्जानहींकरें, न हीकिसीअन्य सेकरावें।

विपक्षी संख्या 2 ने जवाबप्रस्तुतकरनिवेदनकियाकिविपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 सेजरियेरजिस्टर्डविक्रय पत्र दिनांक 18—04—2019 सेआराजीनंबर 1200 एवं 1201 मेंसे 19 बिस्वाभूमिक्रय की है एवंमौकेपरक्रय शुदाआराजीपरउसकाकब्जाहैतथाविक्रय के आधारपरनामान्तरकरणभीदिनांक 26—04—2019 को खोलागयाहै।प्रार्थीगण एवंविपक्षी संख्या 1 चारोंभाईहोकरवर्षोपूर्वआपसीविभाजनकरअपनी—अपनीभूमिपरकाबिजहैतथाविपक्षी संख्या 1 द्वाराअपनेकब्जे एवंस्वामित्व की भूमिकाविक्रय कियागयाहै, जिसपरविपक्षी संख्या 2 आजभीकाबिजहै।अतः प्रार्थीगणकाप्रार्थनापत्र खारिजकियाजावे।

अधिनस्थन्यायालय ने उभयपक्ष की बहससुनकरअपनेनिर्णय दिनांक28—01—2020सेप्रार्थीगणकाप्रार्थनापत्रखारिजकिया,जिससेरूष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:53:00 IST
Reason: SelfAttested

होकरअपीलान्ट/विपक्षी संख्या 2 द्वारादिनांक25–02–2020कोइसन्यायालय मेंयह अपीलप्रस्तुत की गयीहै।

अपीलदर्जरजिस्टर की जाकररेस्पोन्डेन्टगणकोतलबकियेजानेपररेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओरसेपैरोकारसरकारउपस्थितहुए एवंबहसमेंभागलिया शेषरेस्पोन्डेन्टबावजूदसूचनाअनुपस्थितरहे।अधिनस्थन्यायालय की पत्रावलीतलब की जाकरउभयपक्ष की बहससुनीगयी।

विद्वानवकीलअपीलान्ट ने अपीलमीमोंमेंवर्णिततथ्योंकोपुनः वक्तबहसदोहराया एवंबतायाकिअधिनस्थन्यायालय ने वादग्रस्तकुलियाभूमिपररेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 काकब्जामानतेहुए सम्पूर्णभूमिपरअपीलान्टकोप्रार्थीगण के उपयोगउपभोगमेंबाधाकारित न करनेहेतुअस्थायीनिषेधाज्ञाजारीकरदीहै, जबकिअपीलान्ट द्वारारेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 सेक्रयशुदाभूमिपरनिर्विवाद रूपसेअपीलान्टकाकब्जाहोकरउसनेरजका व बाजराबो रखाथा एवंवर्तमानमेंभीअपनेहिस्से की भूमिपरफसलबो रखीहै।इतनाहीनहींस्वयंअधिनस्थन्यायालय ने हीप्रकरण संख्या 458/2019 मेंरेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 व अन्य को धारा 107, 116 सी.आर.सी.पी. के तहतपाबन्दभीकियाहै।अधिनस्थन्यायालय ने बिनामौके की रिपोर्टप्राप्तकियेवादग्रस्तकुलिया 4 बीघा 1 बिस्वापररेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 काकब्जामाननेमेंभूल की है।अतः अपीलअपीलान्टस्वीकारकरअधिनस्थन्यायालय कानिर्णय निरस्तकियाजावे।

विद्वानराजकीयअभिभाशक ने प्रकरणमेंराजकीय हितनिहितनहींहोनेसेप्रकरणकानिस्तारणगुणावगुणपरकरनेकानिवेदनकिया।

हमनेउभयपक्षों की बहसपरमननकरपत्रावलीकाअवलोकनकियातो यह पायाकिविवादितआराजीरेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के सहखातेदारीमेंदर्जथी, जिसकाबिनाविधिवतविभाजनकरायेरेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट के पक्ष मेंविशिष्ठभू–भागपरअपनाकब्जाबतातेहुए भूमिकाविक्रय कियाहै, जबकिकानूननअविभाजितभूमि के विशिष्ठपड़ोसों की भूमिकाविक्रय नहींकियाजासकता। ऐसीस्थितिमेंअधिनस्थन्यायालय ने संयुक्त खातेदारी के विशिष्टभागकाविक्रय कियेजाने के आधारपरअपीलान्ट/विपक्षी संख्या 2 कोअजनवीक्रेतामानाहैतथाअस्थायीनिषेधा[illegible] तीनोंबिन्दुप्रथम दृष्टयाकेस,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:53:00 IST
Reason: SelfAttested

सुविधाकासंतुलन एवंअपूर्णीय क्षतिप्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष मेंमानतेहुए उनकाअस्थायीनिषेधाज्ञाकाप्रार्थनापत्र स्वीकारकियाहै, जोविधि सम्मतहोनेसेहमउसमेंकिसीप्रकारकाहस्तक्षेपकरनाउचितनहीं समझतेहैं।

अतःअपीलअपीलान्टसारहीनहोनेसे खारिज की जाकरअधिनस्थन्यायालय कानिर्णयदिनांक28–01–2020यथावत रखाजाताहै।

पत्रावलीबादपूर्णप्रविश्टिनंबरसे कम होकरदाखिलदफ्तरहो।अधिनस्थन्यायालय की पत्रावलीलौटाईजावे।निर्णय आजदिनांक05–07–2022को खुलेन्यायालय मेंसुनायागया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवंपदेनराजस्वअपीलअधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:53:00 IST
Reason: SelfAttested